# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 51/2021 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. अलारखी पत्नी स्व० घीसा पीनारा (मंसूरी) मुसलमान निवासी– मोहनपुरा, ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ़
2. मुमताज पुत्री स्व० घीसा पीनारा पत्नी गनी मोहम्मद पीनारा मुसलमान निवासी– कोटड़ी तहसील कोटड़ी
3. बशीरी पुत्री स्व०घीसा पीनारा पत्नी अकबर पीनारा मुसलमान निवासी– कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. शरीफन पुत्री स्व०घीसा पीनारा पत्नी अजीज पीनारा मुसलमान निवासी– गुदा का खेड़ा तहसील आसीन्द
5. सईदा पुत्री स्व० घीसा पीनारा पत्नी अजीज पीनारा मुसलमान निवासी– बनका खेड़ा तहसील कोटड़ी
6. छोटी पुत्री स्व० घीसा पीनारा पत्नी मुनीर मोहम्मद पीनारा मुसलमान निवासी– बिशनिया तहसील कोटड़ी
7. मदीना पुत्री स्व० घीसा पीनारा मुसलमान निवासी– कच्ची बस्ती, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल शर्मा निवासी– मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़
2. ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
3. हसन पुत्र स्व० घीसा पीनारा (मंसूरी) मुसलमान निवासी – मोहनपुरा, ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ़ हाल मण्डपीया स्टेशन तहसील हमीरगढ़
4. निजामुदीन पुत्र स्व० घीसा पीनारा (मंसूरी) मुसलमान निवासी– मोहनपुरा, ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल बिगोद होजी दहन चौक तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा– 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम
निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ़
तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ पट्टा संख्या 27 मिसल संख्या निल दिनांक
09/07/2017

उपस्थित –

1. श्री बी. एल. वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01, 03 व 04 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक 21.03.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 एक के पक्ष में ग्राम मोहनपुरा ग्राम पंचायत जालिया तहसील माण्डलगढ़ में जिसके पडौस पूर्व में सत्तार पीनारा, पश्चिम मे हसन पीनारा, उत्तर मे पड़त व दक्षिण मे आम रास्ता का पट्टा संख्या 27 दिनांक

किया गया है, जो काननून खारीज होने योग्य है व पट्टा एक ही दिन मे जारी किया गया है। गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 157, 154, 158 व सभी नियमो की पालना नही की है। पट्टा जारी होने की दिनांक से उक्त निगरानी पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 कें पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 09/07/2017 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1,3 व 4 के अधिवक्ता आदेशिका दिनांक 15.06.2022 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1,3 व 4 पर एक तरफा कार्यवाही की जाकर, प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत जायदाद गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी नही है व न ही उसका कोई हक हिस्सा व कब्जा कभी रहा है व नही 50 वर्षो से कब्जा है। इस कारण से गैर निगराकार सख्या 01 की जायदाद नही होते हुए भी उसके पक्ष मे तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व होंने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने के पूर्व कानूनन आपत्तिया आमंत्रित नही की गयी व नही साईट प्लान बनाया गया है, न ही घटना स्थल का विधिवत निरीक्षण किया, सारी कार्यवाही अवैध तौर पर की जाकर पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्तनीय एवं साथ ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानो की पालना नही की गयी, जब तक नियम 156 मे वर्णित शर्तों की पालना नही हो तब तक पट्टा जारी नही किया जा सकता है। पट्टे पर मिसल संख्या भी अंकित नही है, जिससे स्पष्ट है कि बिना पत्रावली कायम किये, उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो काननून खारीज होने योग्य है व पट्टा एक ही दिन मे जारी किया गया है। गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 157, 154, 158 व सभी नियमो की पालना नही की है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 09/07/2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत जालिया की मिसल पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता है कि मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची में अंकित किया हुआ हैं कि प्रश्नगत पटटा स्थल का मौका निरीक्षण तीन वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 02.07.2017 को किया गया, जबकि मिसल आदेशिका दिनांक 01.07.2017 अनुसार तीन वार्ड पंचों द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 01.07.2017 को किया जाना अंकित हैं। जबकि मौका निरीक्षण प्रपत्र में दिनांक अंकित ही नही हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत जालिया द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने में प्रकियात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट होता।

मिसल पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि उक्त प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत जालिया ने आज्ञाओं की सूची में नियम 148 के तहत आपत्ति पत्र 03 दिवस की अवधि का ही जारी किया जाना अंकित किया गया। जबकि नियम 148 में 30 दिवस की अवधि का प्रावधान दिया हुआ हैं। सम्पूर्ण मिसल का परीक्षण से जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत की मिसल में आपत्ति पत्र जारी करने का कोई पत्र या उसकी फोटोप्रति भी संलग्न नहीं है। इससे जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने विधिवत प्रकिया नही अपनाते हुये उक्त मिसल पत्रावली तैयार की हैं।

मिसल पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि नजरी नक्शा आबादी भूमि प्रपत्र किस दिनांक को तैयार किया गया ? दिनांक अंकित नहीं हैं। नियम 157(1) के तहत पुश्तैनी पटटे के आंवटन बाबत् 200/–शुल्क निर्धारित हैं, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रसीद संख्या 05 दिनांकित 01.07.2017 अनुसार रसीद 120/–रूपये की हैं। इससे जाहिर होता हैं कि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण शुल्क भी जमा नही करवायी गयी हैं। रसीद पर किसी भी कार्मिक/लोक अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं, जिससे रसीद की वैधता पर भी प्रश्न उत्पन्न होता हैं।

मिसल पत्रावली से जाहिर होता हैं कि पटटाधारक आवेदक कैलाशचन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत जालिया को प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वयं की उम्र 40 वर्ष अंकित कि गयी हैं एवं प्रश्नगत पटटा मकान लगभग 35 वर्ष पुराना अंकित किया गया हैं। इस प्रकार आवेदक स्वयं द्वारा स्वयं के आवेदन पत्र में उक्त प्रश्नगत पटटा मकान 35 वर्ष पुराना बताया गया हैं, तो ग्राम पंचायत जालिया द्वारा उक्त पटटा 50 वर्षों से अधिक पुराना

बताया जाकर पंचायतीराज नियम 157 (1) के तहत क्योंकर जारी किया गया? आवेदक ने ग्राम पंचायत में किस दिनांक को आवेदन किया हैं, दिनांक भी अंकित नहीं हैं। आवेदन पत्र में आवेदक के कितने भाई बहिन हैं, इसका भी अंकन रिक्त पडा हुआ हैं। माता पिता भाई बहिन के अनापत्ति प्रमाण पत्र में केवल माता की ही सहमति हैं, अन्य सदस्यों की सहमति नहीं हैं। गौरतलब यह भी हैं कि प्रकरण में जब माता व पिता जीवित हैं तो पुत्र को पुश्तैनी मकान का पटटा किस प्रकार से आंवटित हो सकता हैं? पिता अथवा माता के नाम पर क्यों जारी नही करवाया गया? इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मिसल कायम करने में विधि सम्मत प्रक्रिया नही अपनायी हैं।

निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में अंकित कथनों का विपक्षीगणों स्वयं द्वारा अथवा जरिये अधिवक्ता द्वारा, किसी प्रकार से कोई खण्डन मौखिक एवं लिखित अथवा दस्तावेजात के रूप में पेश नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पटटा संख्या 27 दिनांक 09.07.2017 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ के पटटा संख्या 27 दिनांक 09.07.2017 को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत जालिया पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)